

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING- MINI RATNA COMPANY)
(CIN: U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

New Delhi – 110012

OFFICE:- CENTRAL STATE FARM, JETSAR

DISTT- SRIGANGANAGAR

RAJASTHAN-335705

NOTICE INVITING E-TENDER

FOR

**“Tender for security of farm assets, standing crops, stored stock and other
movable/immovable properties of farm, for the year 2022-23”**

**(वर्ष 2022-23 में फार्म संपदा, खड़ी फसल, संग्रहित फसल एवं अन्य फार्म संसाधनो (चल/अचल
संपत्ति) की सुरक्षा का ठेका)**

LAST DATE & TIME FOR RECEIPT OF BIDS :- 04.02.2022 12:00 PM

DATE & TIME OF OPENING OF BIDS :- Technical bid:- 07.03.2022 14:00 hrs
Financial bid:- 08.03.2022 14:00 hrs

Particulars	Telephone	e-mail	csf.jetsar@indiaseeds.com
Central State Farm, JETSAR	Ph:- 01498-261202, 261226, 9351228766		
Website	www.indiaseeds.com		
e-portal	https://indiaseeds.eproc.in/		



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-
मिनिरल कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012

फैक्स- 011- 25846462

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-

श्रीगंगानगर(राजस्थान)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295

e-mail – nsc@indiaseeds.com

CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Distt. Sri Ganganagar (Raj)

PHONES: (01498-261202,261226 (Office) Tele – Fax
:- 01498-261233

NO. : - CSF/JTS/SEC/3-1/2021-22

Dated: 28.02.2022

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, श्रीगंगानगर (राज.), वर्ष 2022-23 में, खंड-1, 2 व 3 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की फसलों एवं अन्य चल-अचल संपत्ति की सुरक्षा हेतु इच्छुक पंजीकृत फार्म/एजेंसी/संस्थान से दो बिड सिस्टम (तकनीकी एवं वित्तीय) के आधार पर ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा हमारी वेबसाइट <https://indiaseeds.eproc.in> पर केवल ऑनलाइन प्रेषित करें | निविदा हेतु हमारे ईपोर्टल <https://indiaseeds.eproc.in> पर निविदादाता का पंजीकृत होना आवश्यक है | इस सम्बन्ध में यदि कोई भूल सुधार ज्ञापन होगा तो केवल वेबसाइट पर ही डाला जायेगा |

1	कार्य का विवरण	वर्ष 2022-23 में फार्म संपदा, खड़ी फसल, संग्रहित फसल एवं अन्य फार्म संसाधनों (चल/अचल संपत्ति) की सुरक्षा हेतु ठेका
2	स्थान	केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
3	अनुमानित लागत	50,00,000/-
4	EMD राशि	50,000/- प्रति खंड
5	निविदा प्रपत्र की कीमत	590/- (500/- + 18% GST)
6	EMD व निविदा प्रपत्र की कीमत (Non refundable) जमा करने के लिए बैंक विवरण	EMD will be accepted through online mode through online portal or D.D. Scanned copy of transaction must be uploaded along with technical documents. Demand draft may be issued in favour of NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD., JETSAR (A/c No. 33963396672, IFSC: SBIN0008251)
7	अनुबंध की अवधि	एक वर्ष
8	निविदा प्रारंभ होने की तारीख व समय	28.02.2022 Time 07:00 PM
9	निविदा जमा करने का अंतिम दिन व समय	07.03.2022 Time 12:00 PM
10	निविदा खोलने का दिन व समय	Technical bid:-07.03.2022 Time 02:00 PM Financial bid:- 08.03.2022 Time 02: 00 PM
11	पत्राचार का पता	निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर- 335702 (Raj.) e-mail:- csf.jetsar@indiaseeds.com Ph:- 01498-261202, 261226, 9351228766

सुरक्षा अधिकारी
कृते निदेशक

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

- **C1 India Private Limited:** Service provider to provide the e-Tendering Software.
- **NSCL e-Procurement Portal:** An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited ("NSCL") introduced for the process of e-tendering which can be accessed on <https://indiaseeds.eproc.in>.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

- It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency under CCA, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to participate in e-tendering portal of NSCL. Bidders can see the list of licensed CA's from the link www.cca.gov.in C1 India Pvt. Ltd. also facilitate Class III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) to the bidders. Bidder may contact C1 India Pvt. Ltd. at mobile no. +91-8130606629 for DSC related queries or can email at vikas.kumar@c1india.com
- To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>) to have a user ID & Password which has to be obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3416/- inclusive of all taxes through **online** mode. Validity of Registration is 1 year.
- The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>).
- To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from <https://indiaseeds.eproc.in>.
- To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 570/- inclusive of all taxes (Non-refundable) through online mode (internet banking/debit card/credit card).
- The Bidder may modify or withdraw their bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified or withdrawn by the Bidder after the Bid Due Date and Time.
- Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published at NSCL e-Tendering Portal (<https://indiaseeds.eproc.in>).
- For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support Monday to Friday Ph: **0124-4302033/36/37, nsclsupport@c1india.com**.
- It is highly recommended that the bidders should not to wait till the last date of bid submission to avoid complications like internet connectivity issue, network problems, system crash down, power failure, browser compatibility issue, system compatibility issue, improper digital signature certificate problem etc. In view of this context, neither M/s National Seeds Corporation Limited nor M/s. C1 India Pvt. Ltd will be responsible for such eventualities.

नियम व शर्तें

वर्ष 2022-23 में फार्म संपदा, खडी फसल, संग्रहित फसल एवं अन्य फार्म संसाधनों (चल/अचल सम्पत्ति) की सुरक्षा का ठेका।

1. फार्म संपदा, खडी फसल, संग्रहित फसल, पेड, चल-अचल संपत्ति एवं अन्य संसाधनों को पशु/पशुधन एवं अन्य से होने वाले नुकसान को रोकने हेतु "जो जहाँ है, जैसे है के आधार पर" चौबीस घंटे सातों दिन सुरक्षा हेतु मानव संसाधन की सुविधा उपलब्ध कराने एवं सुरक्षा बाबत निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। करार की अवधि एक वर्ष की होगी।
2. निविदा शुल्क रु. 590/- एवं धरोहर राशि रु. 50000/- प्रति खण्ड जो कि RTGS के माध्यम से National Seeds Corporation Ltd., Jetsar के खाता संख्या 33963396672 IFSC Code SBIN0008251 SBI, Bajuwala में जमा करवाये। निविदा हेतु विस्तृत विवरण की जानकारी वेबसाइट www.indiaseeds.com, <http://indiaseeds.eproc.in> पर भी देखी जा सकती है | धरोहर राशि व निविदा शुल्क के बिना कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी |
3. निविदादाता भरी हुई निविदा दिनांक 07.03.2022 को समय 12:00 PM तक Online जमा कर सकते हैं जो दिनांक 07.03.2022 को 14:00 PM बजे खोली जायेगी निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। तथा तकनीकी रूप से वैध पाई गई निविदादाताओं की वित्तीय बीड़ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत उत्तरोत्तर खोली जायेगी।
4. निविदादाता पार्टियों के पास सरकारी/अर्धसरकारी/सरकारी उपक्रम/स्वायत संस्था में संतोषजनक सुरक्षा कार्य हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव या गैर सरकारी फार्म में कम से कम 500 एकड़(पांच सौ एकड़) क्षेत्र में संतोषजनक सुरक्षागार्ड को उपलब्ध कराने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस बाबत पार्टियों को संबंधित संस्था द्वारा संतोषजनक कार्य पूर्ण करने संबंधी जारी प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है।
5. पार्टियों को तकनीकी निविदा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, फर्म पंजीकरण, सर्विस टैक्स संख्या, जी.एस.टी. संख्या, ईपीएफ पंजीकरण संख्या, ईएसआई पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो तो) पैन कार्ड संख्या, लेबर लाइसेंस) एवं PSA License (Private Security Authority)की प्रति, वार्षिक टर्न ओवर 50.00 लाख हेतु Balance sheet की प्रति वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 के लिये एवं प्रोप्राइटर का आधार कार्ड लगाना आवश्यक है।
6. निविदा के नियम एवं शर्तों की स्वीकारोक्ति हेतु पार्टी को नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है तथा उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी निविदा के साथ जमा किए गए दस्तावेज उनके द्वारा स्व-सत्यापित हैं।

7. एक पार्टी को केवल एक ही खण्ड का ठेका दिया जाएगा।
8. सफल निविदादाता को प्रत्येक खण्ड के सुरक्षा ठेके के लिए रु 2,50,000/—(रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड (धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि मिलाकर) जमा कराना होगा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर दी जाएगी, जो संतोषजनक रूप से ठेके की अवधि समाप्त होने पर ब्याज मुक्त रूप से पार्टी को वापस की जायेगी।
09. धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल निविदादाता को उनके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि निश्चित अवधि के अंदर उनके लिखित अनुरोध पर चेक/एन.ई.एफ.टी. द्वारा उत्तरोत्तर वापस की जायेगी। L-1 पार्टी/सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारणवश निविदा से नाम वापस लेने की स्थिति में पार्टी को अमानत राशि वापस नहीं की जायेगी।
10. निविदा में भाग लेने वाली पार्टियों का वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख (वर्ष 2020-21, 2019-20) होना आवश्यक है। इस बाबत ठेकेदार को auditor द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं बैलेंस शीट/annual return की प्रति लगाना आवश्यक है।
11. ठेकेदार एवं उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पर्यावरण, जलीय-थलीय जीव जन्तुओं, जंगली जानवरों, मोर, तीतर आदि पक्षियों व राजकीय वृक्ष (खेजड़ी) को पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचायेंगे और न ही पहुँचाने देंगे।
12. ठेकेदार किसी भी प्रकार के फार्म उत्पाद जैसे पेड़-पौधे लकड़ी, दवा, रासायनिक खाद, डीजल, फार्म की मिट्टी आदि बिना गेट पास व पर्याप्त कागजात के बाहर नहीं ले जाने देगा और न खुद ले जायेगा। ठेकेदार फार्म के संसाधनों को नुकसान से बचाने हेतु सख्त/सुदृढ़ व्यवस्था रखेगा। ऐसे किसी भी शिकायत के प्रमाणित होने पर, ठेकेदार उक्त हानि के लिए फार्म को दोगुना क्षतिपूर्ति देगा।
13. यदि ठेकेदार आवंटित फार्म के क्षेत्र में संदिग्ध अपराधिक व्यक्तियों, वाहनों के प्रवेश को पूर्ण प्रतिबंधित करेगा फिर भी यदि आवंटित क्षेत्र में किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित होती है तो इसके लिए ठेकेदार पूर्ण उत्तरदायी होगा एवं एफ.आई.आर दर्ज करवायेगा।
14. ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि पशुधन द्वारा अवैध/जबरदस्ती नाली पानी को न तोड़ना/बंधे को नुकसान से बचाना व अवैध चराई और चोरी रोकना एवं अन्य से फसल/फार्म संपदा को कोई नुकसान न हो।
15. ठेकेदार को फसल व फार्म संपदा को बचाने हेतु विभिन्न चको/पॉइन्टों/संवेदनशील पॉइन्टों इत्यादि जिनकी जानकारी समय-समय पर फार्म प्रबंधन द्वारा दी जायेगी पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ भी उसके सुरक्षा गार्ड तैनात हैं वहाँ दूसरा सुरक्षा गार्ड आने के बाद ही पहला सुरक्षा गार्ड चक/पॉइन्ट से जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करेंगे तथा वे फार्म अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

16. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का ठेका उसी पार्टी को दिया जाएगा जिसका चाल-चलन सही हो तथा वे निगम की काली सूची में न हो। ब्लैक लिस्टेड व्यक्ति से संबंधित पार्टी को ठेका नहीं दिया जायेगा, जैसे उनकी पत्नी/पुत्र व अन्य नजदीकी रिश्तेदार इत्यादि।

17. ठेकेदार किसी भी फार्म कर्मचारी का रिश्तेदार या सम्बन्धी नहीं होना चाहिए। ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड किसी भी फार्म अधिकारी/कर्मचारी व कार्य कर रहे अन्य ठेकेदार से किसी भी प्रकार का विवाद/झगड़ा इत्यादि नहीं करेंगे। कोई विवाद होने पर इसकी रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी/फार्म प्रबंधन को देंगे।

18. कार्य आदेश जारी होने के पश्चात ठेकेदार स्वयं भी फार्म से संबंधित खण्ड/ईकाई में उपस्थित रहेगा। ठेकेदार किसी भी दषा में ठेके को किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म को किराये पर नहीं देगा अर्थात् **Sub-letting** नहीं करेगा। ठेकेदार प्रतिदिन फार्म प्रबंधन/सुरक्षा अधिकारी से मिलकर उन्हें फार्म की फसलों तथा फार्म सम्पदा को बचाने हेतु लगाए गए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था से अवगत करायेगा तथा इस बाबत प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में फार्म प्रबंधक उनका ठेका रद्द करने के साथ-साथ उनके द्वारा जमा की गई धरोहर/प्रतिभूति राशि भी जब्त की जा सकती है।

19. ठेकेदार किसी भी प्रकार के बाहरी विवाद/झगड़ा/संसाधनों की बर्बादी व चोरी होने की रिपोर्ट स्वयं पुलिस थाने में करेगा। इस प्रकार के किसी भी विवाद की स्थिति में खर्च का वहन स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा इस संबंध में फार्म कोई भी खर्च वहन नहीं करेगा।

20. सुरक्षा गार्ड तैनाती हेतु फार्म ठेकेदार को किसी भी प्रकार का वाहन व संसाधन उपलब्ध नहीं करवायेगा। ठेकेदार को इन सभी संसाधनों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा इस मद में आने वाले खर्च का वहन ठेकेदार को स्वयं करना होगा।

21. ठेकेदार से प्राप्त सुव्यवस्थित बिल का भुगतान समाप्त हुए माह के लिए क्रमशः अगले महीने में चेक द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसने लगाये गये सुरक्षा गार्ड से संबंधित ई.पी.एफ., ई.एस.आई., सेवा कर व जी.एस.टी. इत्यादि का भुगतान कर दिया है तथा उन्हें इस बाबत दस्तावेज लगाने होंगे। किसी भी प्रकार का टैक्स जो नियमान्तर्गत देय होगा ठेकेदार के मासिक बिल से काटा जायेगा। ठेकेदार को पैन कार्ड की एक छायाप्रति लेखा शाखा को भी देनी होगी।

22. ठेकेदार को राजस्थान में लागू न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सहित सभी श्रम कानूनों का पालन करना होगा। स्वयं उसकी व उसके द्वारा नियोजित किसी भी सुरक्षा गार्ड की दुर्घटना की स्थिति में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में फार्म प्रबंधन की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जो भी वैधानिक प्रावधान लागू होंगे उसकी अनुपालना की पूर्ण जिम्मेदारी सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

23. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व रु 100/- (रुपये सौ मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त शर्तों को शामिल करते हुए केन्द्रीय राज्य फार्म, **जैतसर** से लिखित अनुबंध करना होगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी तथा इस मद में आने वाला खर्च ठेकेदार को वहन करना होगा।

24. ठेकेदार फार्म की सुरक्षा बाबत साप्ताहिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

25. ठेकेदार जो भी सुरक्षा कर्मी रखेगा उनको नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उनकी मासिक रिपोर्ट सुरक्षा अधिकारी को देगा।
26. यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उसके द्वारा करार के नियम एवं शर्तों की अनुपालना नहीं की जाती है तो फार्म प्रबंधन 15 दिन का नोटिस देकर उसका ठेका रद्द कर सकता है तथा वर्तमान ठेका किसी अन्य पार्टी को आवंटित किया जा सकता है। फार्म प्रबंधन ठेका रद्द करने के साथ-साथ ठेकेदार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को जब्त भी कर सकता है। ठेकेदार को फार्म प्रबंधन द्वारा फार्म संपदा, फसलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार कार्य करना होगा।
27. ठेकेदार का कार्य संपोषप्रद/अच्छा पाये जाने की अवस्था में फार्म प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार ठेके की अवधि को फार्म समिति की सिफारिश के अनुसार 01 वर्ष के बढ़ाया जा सकता है।
28. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि फसल कटाई के पश्चात कोई पशु फार्म क्षेत्र में बिना चराई परमिट के न आए तथा अवांछित चराई न हो अन्यथा उसके नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
29. ठेकेदार को संबंधित चक की चल-अचल सम्पत्ति जैसे खड़े पेड़ों एवं अन्य फार्म सम्पत्ति, " जो जहाँ हो" के अनुसार रात्रि व दिन में उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड को लगाना होगा। 24 घंटे सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। फार्म बाउंड्री के गेटों 3 बी.जी.डी, बीजीएम, 1 बीजीडी बी, 1 बीजीडी ए, 2 एस. ए.डी, मा।गलगढ गेट, 6 एम.जी.एम गेट, 9-10 एस.ए.डी गेट पर 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
30. ठेकेदार सुरक्षागार्ड को सीटी, लाठी, टार्च, वर्दी और अन्य जरूरी संसाधन जो फार्म संसाधनों एवं सम्पदा को नुकसान से बचाने के लिए जरूरी होगा, उपलब्ध करायेगा। सभी सुरक्षा गार्डों का ड्यूटी के समय वर्दी में होना अनिवार्य है।
31. ठेकेदार फार्म पर किसी भी अवांछित सुरक्षा गार्ड को कार्य पर नहीं लगायेगा, जिससे कि फार्म का अहित हो या उसे सरकार द्वारा प्रतिबंधित घोषित किया गया हो या वह सुरक्षा गार्ड फार्म अधिकारी/कर्मचारी से द्वेष रखता हो।
32. फार्म संपदा, फसल एवं इसकी चल अचल संपत्ति के नुकसान की स्थिति में उसकी भरपाई ठेकेदार के मासिक बिल/उनके द्वारा जमा किया गया अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जाएगी।
33. ठेकेदार द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्ड की उम्र कम से कम 18 वर्ष तथा अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। ठेकेदार को फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड की जानकारी फार्म प्रबंधन को देनी होगी। ठेकेदार के द्वारा लगाए गए सुरक्षा गार्डों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और आधार कार्ड की प्रतिलिपि फार्म प्रबंधन को अनुबंध दिनांक से एक माह के अंदर जमा करवाना होगा।
34. ठेकेदार फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक आधार पर निर्धारित समय में देगा तथा फार्म इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि ठेकेदार उन्हें न्यूनतम वेतनमान मासिक/साप्ताहिक वेतन देने में असफल रहता है तो फार्म प्रबंधन सुरक्षा गार्ड को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए मजदूरी का भुगतान राजस्थान राज्य में लागू न्यूनतम

मजदूरी के आधार पर करेगा तथा इस मद में आने वाले खर्च की वसूली ठेकेदार को देय बिल/उसकी अमानत राशि व प्रतिभूति राशि से की जाएगी।

35. ठेकेदार इस बात के लिए भी उत्तरदायी होगा कि वह फार्म पर लगाए गए सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान करेगा तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की पालना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

36. किसी भी संगठन, ट्रेड यूनियन की हड़ताल या भीड़ द्वारा उत्पात की स्थिति में ठेकेदार अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फार्म संपदा/फसलों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से ठेकेदार की ही होगी।

37. यदि ठेकेदार ठेका का कार्य बीच में छोड़ता है या इस करार के किसी नियम अथवा शर्तों का उल्लंघन करता है तो फार्म को इस करार को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।

38. In case any dispute arises between NSC and the other party due to any terms or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and decision. In case dispute even after discussion, then it shall be binding up on parties to resolve issue under the provision of Arbitration and Conciliation Act, 1966 as amendment from time to time. Under this provision the Chairman cum Managing Director, National Seeds Corporation Ltd. with concurrence of both the parties shall appoint sole arbitration to resolve the issue and both the parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to Court Of Law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall be in English Language. The Court Of Delhi shall have the jurisdiction.

39. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक(फार्म) के पास सुरक्षित रहेगा। फार्म निदेशक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वे बिना कोई कारण बताये ठेकेदार का ठेका उसे 15 दिनों का नोटिस देकर रद्द कर सकते हैं।

40. फार्म द्वारा आउटसोर्स किसानों को जो चक ठेके पर दिये जाते हैं उनको दूसरे किसान को स्थानान्तरित करते समय बीच की अवधि (लगभग 45 दिवस) की सुरक्षा की जिम्मेवारी संबंधित खण्ड के सुरक्षा ठेकेदार की रहेगी। फार्म द्वारा सुरक्षा हेतु दिये गये चको की संख्या को घटाया व बढ़ाया जा सकता है।

41. फार्म सीमा में आये नहर,माईनर इत्यादि पर जहाँ फार्म क्षेत्राधिकार में आये पेड़ों की जिम्मेवारी संबंधित खण्ड के सुरक्षा ठेकेदार की होगी।

“नियम एवं शर्तें मान्य हैं”

निविदादाता के हस्ताक्षर

Points/ Things to be noted while filling the tender by the parties and important documents which are to be submitted. Remaining information as per the terms and conditions of the tender.

➤ **Points / Things to Note :-**

1. Technical Bid
2. Financial Bid
3. Technical and financial Bid has to be submitted online

➤ **Documents which are to be submitted with Technical bid**

S. No.	Particulars	
1.	Demand draft/ RTFG/UPI of Rs. 590 for tender form	
2.	Demand draft/ RTFG/UPI of earnest/ deposit money Rs. 50,000.00 separate for each block.	
3.	Copy of PSRA 2005 Licence	
4.	Experience certificate of 02 year for providing of manpower security work.	
5.	Income tax return 2019-20,2020-21	
6.	Registration Number of Firm/ Party.	
7.	Copy of Labour licence.	
8.	GST Registration.	
9.	EPF/ESI Registration.	
10.	Adhar Card of Party propreiter	
11.	PAN Card	
12.	Affidavit for not being in black list.	
13.	Character certificate from Police Department.	
14.	Annual turnover of Rs. 50 Lakh for the year 2019-20, 2020-21	

Note: Please do not submit any documents with online financial bid and submit financial bid in prescribed format only.

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Address for sending online tender:

Head of Farm

Central State Farm, Jetsar

Distt: Sriganganagar (Rajasthan)

Tender opening date 07.03.2022

Subject: Tender form for fillup rate in security Tender (01.04.2022 to 31.03.2023)

1. Name of Tenderer:

2. Fathers / Husband Name

3. Complete Address

.....
.....
.....
.....

4. Phone/ Mobile No.

Tender Amount Proposal (Tender Offer)

S. No.	Block	Details of Chak for Security	Quoted Rate in Rs. (with all Tax)
1.	Block - 02	Security of Crops and moveable and immovable property of Chak 2SAD, EPO, 4 MGM, 6 MGM, 2MGM,3MGM Inside the fencing gates 2SAD GATE, MANGALGARH GATE, 6MGM GATE	

I/ We also certify that a copy of all the terms and conditions related to the above tender which is submitted with the technical bid and signed by me and read and understood those terms and conditions. All terms are valid to me /us.

Signature.....
Name of tenderer.....
Complete Address.....
.....
Phone/ Mobile No.....
Email.....